महत्वपूर्ण एवं खास

युवक से 4 लाख 97 हजार से अधिक की ठगी

रायपुर (आरएनएस)। अज्ञात मोबाइल धारक ने इलेक्ट्रिक बेंच ग्राईण्डर खरीदने के नाम पर युवक से 4 लाख 97 हजार से अधिक की धोखाधड़ी किया। प्रार्थी की शिकायत पर मोवा पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी सैयद मोहम्मद ताईक रजा 38 वर्ष दुबे कालोनी मोवा का रहने वाला है। प्रार्थी का सैफ सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी है। बताया जाता है कि प्रार्थी के पास अज्ञात मोबाइल नंबर क्रमांक 72097-18100, 72097-23758 से कॉल आया। उक्त व्यक्ति ने अपने आप को इंडियन आर्मी एयरपोर्ट आथॉरिटी ऑफ इडिया से बोल रहा हूं कहकर इलेक्ट्रिक बेंच ग्राइण्डर खरीदने के लिए कोटेशन लेकर ऑडर्र कंफर्म कर वैण्डर रजिस्ट्रेशन और गेम पास के लिए प्रार्थी से अपने खाता में तीन किस्तो में 4 लाख 97 हजार 232 रुपए जमा करवाकर धोखाधड़ी किया। प्रार्थी की शिकायत पर मोवा पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

विधायक देवेंद्र यादव को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

भिलाई (आरएनएस)। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलते हुए जमानत मिल गई है। वे बलौदा बाजार हिंसा मामले में 17 अगस्त से रायपुर जेल में बंद थे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत देते हुए राहत दी, जिससे उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। बलौदा बाजार हिंसा मामले में देवेंद्र यादव पर गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद वे जेल में थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत को मंजूरी दे दी है, और वे अब जेल से बाहर आ सकेंगे। इस निर्णय के बाद से राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है।

पति ने पत्नी पर पेट्रोल डालकर लगा दी आग, महिला की हालत नाजुक

कोरबा (आरएनएस)। जिले के कटघोरा थाना क्षेत्र के ढेलवाडीह में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। घटना रात लगभग 3 बजे घर से कुछ दूरी पर पुराने एसईसीएल कालोनी में दुर्गा पंडाल के पास हुई। मॉर्निंग वॉक पर निकले राहगीरों ने जब देखा तो तत्काल पुलिस को दी सूचना। सूचना पर तत्काल पहुंची मौके पर पुलिस ने गंभीर झुलसी हुई महिला को जिला अस्पताल भेजा। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है, जो मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है। पुलिस और फोरेंसिक टीम मामले की जांच में जुटी हुई है। घटना के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस आरोपी पति से पूछताछ कर रही है। महिला की हालत नाजुक बनी हुई है, और उनका इलाज जिला अस्पताल में जारी है।

शादी समारोह में विवाद, युवक की हत्या से मचा हड़कंप

जांजगीर-चांपा (आरएनएस)। थाना चांपा क्षेत्र के ज्ञान गंगा स्कूल के पास स्थित भैंसा बाजार में एक शादी समारोह के दौरान हुए विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में 06 आरोपियों सहित 02 विधि विरुद्ध संघर्षरत बालकों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना 16 फरवरी 2025 को मोहन केवट की शादी के दौरान हुई, जब बारात में शामिल लोगों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी मनोज उर्फ गोलू मांझी ने अपने साथियों के साथ मिलकर रामधन पटेल और साहिल पटेल पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल जिला चिकित्सालय जांजगीर में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण रायपुर रेफर किया गया। इलाज के दौरान 18 फरवरी 2025 की सुबह रामधन पटेल की मौत हो गई। पुलिस ने दस्तावेज प्राप्त कर अन्य धाराएं जोडऩे की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन का द्वितीय चरण मतदान के लिए दिखा लोगों में अभूतपूर्व उत्साह

- कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण
- तीसरे चरण के लिए 23 फरवरी को होगा मतदान

रायगढ़

त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन-2025 अंतर्गत आज विकासखंड खरसिया एवं धरमजयगढ़ में द्वितीय चरण की मतदान प्रक्रिया विभिन्न मतदान केंद्रों के माध्यम से हुई। जिसका कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल, प्रशिक्षु आईपीएस हर्षित मेहर, आयुक्त नगर निगम बृजेश सिंह क्षत्रिय भी उपस्थित रहे।

कलेक्टर गोयल ने विकासखण्ड खरसिया के ग्राम लोढ़ाझर, रक्शापाली, बड़े देवगांव, खम्हार, जोबी, बर्रा एवं कुर्रू के विभिन्न मतदान केन्द्रों का निरीक्षण किया। त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव में आज 20 फरवरी को द्वितीय चरण का मतदान सुबह 07 बजे शुरू हुआ। जिसमें रायगढ़ जिले के खरसिया और धरमजयगढ़ ब्लॉक के गांवों में मतदान हुए। लोगों में मतदान को लेकर उत्साह नजर आया। सुबह से ही मतदान केंद्रों के बाहर लंबी कतारें देखने को मिली। युवाओं के साथ वृद्ध मतदाता भी परिवार जनों के साथ वोट डालने पहुंचे। सुबह 09 बजे की स्थिति में खरसिया में 9.9 प्रतिशत और धरमजयगढ़ में 4.78 प्रतिशत मतदान हुआ। इसी तरह सुबह 11 बजे की स्थिति में धरमजयगढ़ में 16.16 एवं खरसिया 29.36 प्रतिशत था। इसी तरह दोपहर 1 बजे तक की स्थिति में धरमजयगढ़ में 55.07 एवं खरसिया में 49.54 प्रतिशत था।

खरसिया एवं धरमजयगढ़ के 199 ग्राम पंचायतों के 469 मतदान केन्द्रों के माध्यम से हुआ मतदान

खरसिया एवं धरमजगढ़ के कुल 199 ग्राम पंचायतों के लिए 469 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं। जहां कुल 2 लाख 49 हजार 253 मतदाता है, जिसमें 01 लाख 21 हजार 794 पुरूष मतदाता, 01 लाख 27 हजार 455 महिला मतदाता एवं 4 तृतीय लिंग शामिल है। जिसमें खरसिया ब्लॉक के 81 ग्राम पंचायतों के लिए 183 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जहां कुल 1 लाख 2 हजार 558 मतदाता है, जिसमें 50 हजार 368 पुरुष मतदाता एवं 52 हजार 189 महिला तथा 01 तृतीय लिंग मतदाता शामिल है। इसी प्रकार धरमजयगढ़ विकासखंड के 118 ग्राम पंचायतों के लिए 286 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जहां कुल 1 लाख 46 हजार 695 मतदाता है, जिसमें 71 हजार 426 पुरुष मतदाता एवं 75 हजार 266 महिला मतदाता तथा 3 तृतीय लिंग मतदाता शामिल है।

तीसरे चरण के लिए 23 फरवरी को होगा मतदान

त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन-2025 अंतर्गत तृतीय और अंतिम चरण में 23 फरवरी को लैलूंगा, तमनार और घरघोड़ा ब्लॉक में मतदान संपन्न होगा।

प्यार का झांसा देकर किशोरी का गैंगरेप, सुसाइड नोट और सबूत छोड़कर ली जान

भिलाई । आरएनएस

भिलाई में एक नाबालिग किशोरी ने प्यार के झांसे में आकर गैंगरेप का शिकार होने के बाद आत्महत्या कर ली। किशोरी ने सुसाइड नोट, कॉल रिकॉर्डिंग और वाट्सएप चैट जैसे सबूत छोड़े, जिसमें उसने आरोपी युवक और उसके दोस्तों पर गैंगरेप का आरोप लगाया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक इसे साधारण खुदकुशी का मामला बता रही है।

बता दें कि भिलाई के कोहका हाउसिंग बोर्ड कालोनी में रहने वाली 17 साल की तस्मिया परवीन को अपने मोहल्ले के युवक आदी से प्यार हो गया था। दोनों कई महीनों से फोन और वाट्सएप पर बात करते थे। धीरे-धीरे आदी ने तस्मिया को अकेले में बुलाना शुरू कर दिया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। हालांकि, बाद में आदी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर तस्मिया का गैंगरेप किया। इस घटना के बाद तस्मिया ने अपने भाई और मां को सारी बात बताई और 18 फरवरी को आत्महत्या कर ली। तस्मिया ने सुसाइड नोट में लिखा कि आदी ने उसे धोखा दिया और उसके दोस्तों के साथ मिलकर उसका गैंगरेप किया। उसने यह भी लिखा कि वह और आदी शादी करने वाले थे, लेकिन आदी ने उसके साथ विश्वासघात किया। तस्मिया के मोबाइल से मिली कॉल रिकॉर्डिंग और वाट्सएप चैट में भी गैंगरेप की बात सामने आई है। तस्मिया की मौत के बाद उसके परिजनों ने स्मृति नगर चौकी का घेराव किया और पुलिस से मामले की गंभीरता से जांच करने की मांग की। समाज के लोगों ने भी आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग की है। तस्मिया अपने माता-पिता की इकलौती बेटी थी। उसके पिता का निधन बचपन में हो गया था, और मां ने दूसरा विवाह किया था। तस्मिया पढ़ाई छोडक़र घर पर सिलाई-कढ़ाई का काम करती थी। उसकी मौत से परिवार और समाज में गहरा सदमा है।

त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन-2025

रायगढ़ एवं पुसौर विकासखण्ड अंतर्गत जिला पंचायत सदस्य एवं जनपद सदस्य के विजयी प्रत्याशियों के परिणाम घोषित

रायगढ़

त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन-2025 के प्रथम चरण में संपन्न हुए मतदान के फलस्वरूप रायगढ़ एवं पुसौर विकासखण्ड के अंतर्गत जिला पंचायत सदस्य एवं जनपद सदस्य के परिणाम घोषित किए गए। जिसमें जिला पंचायत सदस्य के लिए जिला पंचायत रायगढ़ निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 02 से गोपाल अग्रवाल, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 03 से मुस्कान चौहान, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 04 से लक्ष्मी जीवन पटेल, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 05 से ब्रजेश गुप्ता, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 06 से भाग्यवती डोलनारायण नायक विजयी हुई। साथ ही जिला पंचायत सदस्य के लिए निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 01 से सुषमा खलखो निर्विरोध निर्वाचित हो चुकी है।

जनपद पंचायत सदस्य रायगढ़ अंतर्गत विजयी प्रत्याशियों में क्षेत्र क्रमांक-1 में फुलमती धनवार, 2 में रामकुमार भगत, 3 में रूपा सिदार, 4 में मालती सिदार, 5 में तौम्या परमानन्द सारथी, 6 में आनंद राम उरांव, 7 में कुमुदिनी छबिलाल गुप्ता, 8 में सुजाता चौहान (निर्विरोध), 9 में सुखलाल चौहान, 10 में अनिता मुकेश राठिया, 11 में राजीव लोचन बेहरा, 12 में भोजकुमारी चौहान, 13 में नंदिनी पटेल, 14 में टीकाराम सिदार, 15 में गंगाबाई पटेल, 16 में पुष्पा नोहर लाल पटेल, 17 में अंजू मिथिलेश पटेल, 18 में शुभम पटेल, 19 में शिवकुमारी लाभोराम साहू, 20 में सोहन चंद चौधरी, 21 में अनिता मुकेश पटेल (निर्विरोध), 22 में राजकुमारी कन्हैयाचरण पटेल, 23 में दुष्यंत रात्रे, 24 में रामश्याम डनसेना (निर्विरोध) एवं 25 में खेलकुमारी विद्या नायक (निर्विरोध) विजयी घोषित हुई।

जनपद पंचायत सदस्य पुसौर अंतर्गत विजयी प्रत्याशियों में क्षेत्र क्रमांक-1 में खीरमती चौहान, 2 में कविता उरांव, 3 में गोपी चौधरी, 4 में बलराम पटेल, 5 में शशिप्रभा मनोज भारद्वाज, 6 में बसंती नरसिंह चौहान, 7 में पीलीबाई साव, 8 में सूरज कुमार श्रीवास, 9 में विजय कुमार सिदार, 10 में शतरूपा चौहान, 11 में खितेश्वर सिदार, 12 में सविता महेश भोय, 13 में विनोद प्यारेलाल पटेल, 14 में हेमलता हरिशंकर चौहान (निर्विरोध), 15 में मुक्तेश्वर पण्डा, 16 में कृष्णा प्रधान, 17 में सिमरन सत्ते सिंह, 18 में गंगा चौहान, 19 में हेमालिनी प्रकाश गुप्ता, 20 में ममता छत्तर, 21 में भद्रकुमारी सिदार, 22 में मालती यादव, 23 में गीतांजली साहू, 24 में गायत्री सुरेश गुप्ता एवं 25 में भाग्यश्री चौहान विजयी घोषित हुई।

नया दुकान एवं स्थापना अधिनियम : आर्थिक सशक्तिकरण की नई दिशा

- ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा, राज्य के राजस्व में होगी वृद्धि

रायपुर

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लागू किए गए नये दुकान एवं स्थापना अधिनियम को व्यापारिक जगत और नागरिकों का व्यापक समर्थन मिल रहा है। इस ऐतिहासिक फैसले से रोजगार के अवसरों में वृद्धि, व्यापारिक गतिविधियों के सुगमतापूर्वक संचालन के साथ ही राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। खासतौर पर, दुकानों को बिना समय सीमा के संचालित करने की अनुमति मिलने से कारोबारियों के लिए व्यापार सुविधाजनक होगा और उपभोक्ताओं को भी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। हालांकि, यह अधिनियम शराब दुकानों पर लागू नहीं होगा।

व्यापार और रोजगार की संभावनाओं को मिलेगी नई गति- सरकार का यह निर्णय ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। नए नियमों से छोटे दुकानदारों को राहत, पंजीयन प्रक्रिया में सरलता, और कर्मचारियों के अधिकारों का बेहतर संरक्षण सुनिश्चित किया गया है।

पहले से पंजीकृत दुकानों को 6 महीने के भीतर श्रम पहचान संख्या (LIN) प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होगा, लेकिन इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। यदि 6 महीने के बाद आवेदन किया जाता है, तो नियमानुसार शुल्क अनिवार्य होगा।

सातों दिन 24 घंटे दुकान संचालन की स्वतंत्रता- नए अधिनियम के तहत, व्यापारी अब अपनी दुकानें सप्ताह के सातों दिन और 24 घंटे खोलने के लिए स्वतंत्र होंगे। हालांकि, यह निर्णय पूरी तरह से व्यापारियों की इच्छा पर निर्भर करेगा। इस पहल से व्यवसायिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी, जिससे नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

पुरानी व्यवस्था के अनुसार, सप्ताह में एक दिन दुकान बंद रखना अनिवार्य था, लेकिन अब यह प्रतिबंध हटा दिया गया है। हालांकि, सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश दिया जाए और किसी भी कर्मचारी से 8 घंटे से अधिक कार्य न कराया जाए।

श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा प्राथमिकता- सरकार ने व्यापारिक स्वतंत्रता देने के साथ ही श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा है। दुकानदारों को श्रम कल्याण से संबंधित सभी प्रावधानों का पूर्ववत पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। इसके तहत साप्ताहिक अवकाश का प्रावधान अनिवार्य होगा, किसी भी कर्मचारी से 8 घंटे से अधिक कार्य नहीं कराया जा सकेगा और श्रम कल्याण योजनाओं का पालन सुनिश्चित करना होगा।

आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत कदम- यह अधिनियम राज्य की आर्थिक गतिविधियों को नए आयाम देने के साथ-साथ व्यापारियों को अधिकतम स्वतंत्रता और सुविधा प्रदान करता है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन से न केवल छत्तीसगढ़ में व्यापारिक गतिशीलता बढ़ेगी, बल्कि राज्य के राजस्व में भी वृद्धि होगी।

छत्तीसगढ़ सरकार का यह कदम न केवल व्यापार और उद्योग के लिए एक बड़ा सुधार है, बल्कि एक मजबूत और समावेशी आर्थिक प्रणाली की नींव भी रखता है।

निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने वाला फरसाबहार पटवारी अनुप मिंज निलंबित

जशपुर । आरएनएस

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रोहित व्यास ने रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत) फरसाबहार जिला जशपुर द्वारा के प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार अनुप मिंज, पटवारी तहसील फरसाबहार, जिला-जशपुर (छ.ग.) को त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2024-25 के सूचारू संचालन हेतु मतदाता सूची की माल्ड कॉपी तैयार करने हेतु ड्यूटी लगाई गई थी। किन्तु उनके द्वारा सक्षम अधिकारी के बिना पूर्व अनुमति के अनधिकृत रूप से अपने कर्तव्य पर अनुपस्थित थे। रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत) फरसाबहार जिला जशपुर के द्वारा अनुप मिंज, पटवारी को दिनांक 11.02.2025 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उनके द्वारा इस संबंध में किसी भी प्रकार का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया । निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य के प्रति घोर लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता बरतने का कृत्य छग सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-03 एवं 07 के सर्वथा विपरित है। जिसके चलते अनुप मिंज, पटवारी तहसील फरसाबहार तहसील कार्यालय फरसाबहार को छग सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 की नियम-9 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) फरसाबहार जिला जशपुर में नियत किया जाता है। (यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।)

छत्तीसगढ़ के आर्थिक विकास को मिलेगी और तेजी-ओपी

रायपुर । आरएनएस

छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र (रायपुर) 24 फरवरी से शुरू हो रहा है. प्रदेश की बढ़ती अर्थव्यवस्था के मद्देनजर इस बार राज्य के गठन के बाद अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किए जाने के आसार हैं. इस बात संकेत देते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि बजट से छत्तीसगढ़ के आर्थिक विकास को और तेजी मिलेगी, साथ ही नई योजनाओं के साथ आगे बढ़ेंगे.

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने चर्चा में कहा कि पिछले एक साल में निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को अच्छा बेस मिला है, और उस बेस पर हम अर्थव्यवस्था को लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं. जैसे-जैसे जीडीपी का ग्रोथ हो रहा है, और टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है, वैसे ही बजट का साइज भी बढ़ेगा.

22 फरवरी को कैबिनेट देगी मंजूरी

जानकार इस बार छत्तीसगढ़ का बजट एक लाख पचास हजार करोड़ रुपए के आसपास होने की संभावना जता रहे हैं. इस लिहाज से यह राज्य बनने के बाद अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा. नए बजट पर 22 फरवरी को साय कैबिनेट की होने वाली बैठक में चर्चा के साथ मंजूरी दिए जाने के आसार हैं.

सत्र के दौरान होंगी हंगामाखेज 17 बैठकें

24 फरवरी से लेकर 21 मार्च तक चलने वाले विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कुल 17 बैठकें होंगी. सत्र के दौरान 2025-26 के लिए बजट पेश करने के साथ-साथ इसमें विधायकों के सवाल भी होंगे. इस सत्र के लिए विधायकों ने 1,862 सवाल लगाए हैं, जिनमें 943 तारांकित और 871 आतंकित सवाल शामिल हैं.

छत्तीसगढ़ में तकनीकी नवाचारों को मिलेगा इसरो का सहयोग इसरो का विशेषज्ञ दल करेगा छत्तीसगढ़ का दौरा

- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आज नई दिल्ली में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष डॉ वी नारायणन ने की मुलाक़ात

रायपुर

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आज नई दिल्ली में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के चेयरमैन वी. नारायणन ने भेंट कर छत्तीसगढ़ में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग से कृषि एवं अन्य क्षेत्रों में नवाचारों को बढ़ावा देने पर गहन चर्चा की। इस महत्वपूर्ण बैठक में छत्तीसगढ़ में सैटेलाइट आधारित सर्वेक्षण, भू-मानचित्रण (geo-mapping), प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और स्मार्ट एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने जैसे विषयों पर विशेष जोर दिया गया।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर कहा कि छत्तीसगढ़ में कृषि, जल संसाधन, पर्यावरण संरक्षण और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में तकनीकी नवाचारों का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। इसरो के सहयोग से हम इन क्षेत्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कार्य करेंगे, जिससे किसानों को अधिक सटीक जानकारी मिले और राज्य के विकास को गति मिले।

इसरो का विशेषज्ञ दल करेगा छत्तीसगढ़ का दौरा- बैठक में बताया गया कि इसरो का एक विशेषज्ञ दल जल्द ही छत्तीसगढ़ का दौरा करेगा और राज्य में सैटेलाइट इमेजरी, जीआईएस (GIS) तकनीक और डेटा विश्लेषण के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों का विस्तृत अध्ययन करेगा। इसके तहत राज्य में मृदा स्वास्थ्य विश्लेषण, जल स्रोतों का सटीक आकलन, बाढ़ और सूखे की भविष्यवाणी, और कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए डेटा-संचालित निर्णय लेने की प्रणाली विकसित की जाएगी।

छत्तीसगढ़ को मिलेगा अत्याधुनिक स्पेस टेक्नोलॉजी का लाभ- इसरो की विशेषज्ञता और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से छत्तीसगढ़ को कृषि, आपदा प्रबंधन, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, पर्यावरण एवं वन संरक्षण सहित अन्य क्षेत्रों मे व्यापक लाभ होगा। कृषि क्षेत्र में सैटेलाइट डेटा के उपयोग से बेहतर फसल पूर्वानुमान, मिट्टी की गुणवत्ता सुधार, और जल संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन, बाढ़, सूखा और वनाग्नि जैसी प्राकृतिक आपदाओं की पूर्व-चेतावनी प्रणाली को सशक्त बनाना, नगर नियोजन, परिवहन व्यवस्था, और पर्यावरणीय संतुलन के लिए अत्याधुनिक स्पेस डेटा के उपयोग सहित वन क्षेत्रों की निगरानी और अवैध कटाई की रोकथाम के लिए रियल-टाइम मॉनिटरिंग में सुविधा होगी।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि इसरो और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच साझेदारी से राज्य में तकनीकी प्रगति को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। इस पहल के तहत छत्तीसगढ़ अनुसंधान संस्थानों को भी जोड़ा जाएगा, जिससे युवा वैज्ञानिकों को नवाचारों में योगदान देने का अवसर मिलेगा।मुख्यमंत्री साय ने कहा कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के नए युग में इसरो का सहयोग राज्य को भविष्य की तकनीकों से सशक्त बनाएगा, जिससे कृषि, पर्यावरण, जल प्रबंधन और आपदा न्यूनीकरण जैसे क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480